# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/1115

दिनांक – 11.03.25

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| प्रहलादराम पुत्र अचलाराम वगैरा जाति जाट निवासी कालानाडा तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर | | अचलाराम पुत्र देवाराम वगैरा जातियान जाट निवासीयान कालानाडा, झाक तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर जिला बाड़मेर |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत**

राजस्व आवेदन संख्या :– 398/2024

दिनांक– 07/03/25

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण **मौजा खेतरलाई पटवार हल्का झाक तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 519, 591/519 रकबा क्रमशः 9.8455, 9.8536 हैक्टेयर व मौजा कालानाडा पटवार हल्का झाक तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेंर के खेत खसरा संख्या 654/496, 655/496, 662/502, 664/503, 673/592 रकबा क्रमशः 2.8315, 0.6472, 5.3799, 4.8540, 1.8203 हैक्टेयर भूमि** के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावें। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2025/1116-1119

दिनांक– 11.03.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी झाक तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रहलादराम पुत्र अचलाराम वगैरा जाति जाट निवासी कालानाडा तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर
4. अचलाराम पुत्र देवाराम वगैरा जातियान जाट निवासीयान कालानाडा, झाक तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.21 10:16:30 IST
Reason: SelfAttested